न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 01/2021

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
सहीराम, प्रवर्त्तन निरीक्षक
गुड़ामालानी

बनाम

अप्रार्थी–
देराजराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
निवासी बाधा तहसील सेड़वा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम सहारण, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13.02.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 23.12.2020 को पुलिस चौकी रामजी की गोल पुलिस थाना गुड़ामालानी से प्राप्त सूचना पर बाड़मेर, गुड़ामालानी एवं सांचौर तिराहा, रामजी की गोल बाईपास पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के नेतृत्व में श्री संजीव शर्मा प्रवर्त्तन अधिकारी, श्री खेमाराम प्रवर्त्तन अधिकारी के साथ पहुंचे। पुलिस उनि पुलिस चौकी रामजी की गोल द्वारा प्रस्तुत तहरीर के मुताबिक उक्त तिराहे पर श्री बालाजी पॉवर प्लांट एण्ड राइट्स सैनेट्री के बगल के मैदान में एक वाटर टैंकर के माध्यम से कथित बायोडीजल की अवैध बिक्री होने पर श्री चनणाराम एसआई मय पुलिस जाब्ता पहुंचे। मौके पर एक लोहे का टैंकर मय नोजल एवं मीटर लगा पाया गया। टैंकर के मालिक के संबंध में जानकारी करने पर देराजराम पुत्र ताजाराम जाट उम्र 40 वर्ष निवासी बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर को उक्त टैंकर का मालिक होना पाया गया। मौके पर जांच करने पर उक्त टैंकर जो नीले रंग का है, जिस पर ऊपर दो ढक्कन हैं, जिन पर ताला लगा है तथा वाल्व, नोजल तथा बैटरी चालित डिस्पेंसर यूनिट लगा पाया गया। उक्त मौका परिस्थिति से इस नीले टैंकर जिसकी क्षमता करीब 4500 लीटर है, से नोजल एवं मीटर के माध्यम से

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

टैंक में संग्रहित पेट्रोलियम उत्पाद का विक्रय करना स्पष्ट रूप से प्रकट होना पाया गया। मौके पर टैंकर के मालिक को बुलाकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह महादेव ट्रैडिंग कम्पनी का मालिक है तथा उसके द्वारा आईएमसी लिमिटेड पीपावाव पोर्ट पीपावाव का बेस ऑयल मात्रा 21988 लीटर जिसकी कीमत 53.29 रूपये प्रति लीटर कुल 11,71,740.52 दिनांक 17.12.2020 का बिल प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्म द्वारा क्या कार्य किया जाता है के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 17.12.2020 से वक्त जाँच तक 1900 लीटर शेष पाया जाने पर 20088 लीटर कथित बेस ऑयल या बायोडीजल का उपयोग कहां किये जाने का पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब/जानकारी नहीं दी गई। इस पर जब्तशुदा टैंकर में अवशेष लगभग 1900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से मिलावटी डीजल के विक्रय किया जाना किया जाना प्रकट होता है जो मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत खण्ड 2 में (एफ)(i)(vi) एवं (ix) का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा में जब्तशुदा 1896 लीटर मिलावटी पेट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर, मीटर व नोजल का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस ज़ारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी आईएमवी लिमिटेड में मासिक किराया पर लगा हुआ है। प्रकरण में अंकित दिनांक को बायोडीजल की बरामदगी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा न तो उसकी उपथिति में उक्त बायोडीजल को बरामद किया है और न ही उसकी उपस्थिति में किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अवैध व्यापार नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध मात्र राजनैतिक द्वेष भावना के चलते यह कार्यवाही की गई है। जब्तशुदा बायोडीजल के संबंध में उसके द्वारा क्रय संबंधी बिल प्रस्तुत कर दिया गया है एवं उक्त बायोडीजल का प्रयोग बेचान हेतु नहीं किया जाकर कृषि कार्य एवं कृषि जनरेटर में प्रयोग हेतु लिया जा रहा था। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण ड्रॉप फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
बाडमेर

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम देराजराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी बाधा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा बेचान करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के तहत खण्ड 2 में (एफ)(i)(vi) एवं (ix) का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब में सीजशुदा बायोडीजल के संबंध में उसके क्रय संबंधी बिल प्रस्तुत किये जाने की एवं उक्त बायोडीजल का प्रयोग बेचान हेतु नहीं किया जाकर कृषि कार्य एवं कृषि जनरेटर में प्रयोग हेतु किया जाना प्रकट किया है। अप्रार्थी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी आईएमवी लिमिटेड में मासिक किराया पर लगा हुआ है। प्रकरण में अंकित दिनांक को बायोडीजल की बरामदगी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा न तो उसकी उपथिति में उक्त बायोडीजल को बरामद किया है और न ही उसकी उपस्थिति में किसी प्रकार की सैम्पलिंग की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अवैध व्यापार नहीं किया गया है एवं उसके विरूद्ध मात्र राजनैतिक द्वेष भावना के चलते यह कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि फर्म द्वारा क्या कार्य किया जाता है तथा दिनांक 17.12.2020 से वक्त जाँच तक 1900 लीटर शेष पाया जाने पर 20088 लीटर कथित बेस ऑयल या बायोडीजल का उपयोग कहां किये जाने का कोई संतोषजनक जवाब/जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों के विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा 1896 लीटर बायोडीजल पेट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर, मीटर व नोजल राजसात किये जाने के समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये सीजशुदा 1896 लीटर बायोडीजल पेट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर, मीटर व नोजल

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर उक्त राजसात किये गये सीजशुदा 1896 लीटर बायोडीजल पेट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर, मीटर व नोजल का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक पालना कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

6. आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर